

Scoutal
17-10-16
10-0 Encl

पंजीकृत

संख्या-399/दो-4-2016-53(18)/2011

प्रेषक,

अशोक कुमार श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जनपद न्यायाधीश
कानपुर देहात।

request - 90
18/10/16

527
IV/3687
26-10-16
05-10-2016
सितम्बर, 2016

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 05-10-2016
सितम्बर, 2016

विषय:- श्रीमती मंजू राठौर (पत्नी-श्री रघुवीर सिंह राठौर, सिविल जज (जूनियर डिवीजन), कानपुर देहात) की दिनांक 28-03-2016 से 16-04-2016 तक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में कराये गये चिकित्सा पर व्यय धनराशि रूपये-8,71,293/- की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उप निबन्धक (एम) उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-13004/IV-3687/एडमिन ए-1, दिनांक 30.08.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 एवं नियमावली, 2014 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय श्री रघुवीर सिंह राठौर, सिविल जज (जूनियर डिवीजन), कानपुर देहात की पत्नी-श्रीमती मंजू राठौर की दिनांक 28-03-2016 से 16-04-2016 तक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में कराये गये चिकित्सा पर व्यय धनराशि रूपये-8,71,293/- की प्रतिपूर्ति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त दावे से सम्बन्धित बिल/वाउचर्स मूलरूप में संलग्न है।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि के भुगतान से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उनके द्वारा इससे पूर्व कोई चिकित्सा अग्रिम तो प्राप्त नहीं किया गया है। यदि प्राप्त किया गया हो तो उक्त अग्रिम का समायोजन करके भुगतान किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि इस का भुगतान पूर्व में तो नहीं किया गया है।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-42 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक-2014-न्याय प्रशासन-आयोजनेत्तर-105-सिविल और सेशन न्यायाधीश-03 जिला एवं सेशन न्यायाधीश -49 चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय,

(अशोक कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव

संख्या-399(1)/दो-4-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 3- कोषाधिकारी, कानपुर देहात।
- 4- अपर निदेशक, कोषागार, कचेहरी रोड, इलाहाबाद।
- 5- श्री रघुवीर सिंह राठौर, सिविल जज (जूनियर डिवीजन), कानपुर देहात।
- 6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव

Reg(J)(CB)

4LRG
6110116

DR (M)

9/11/16
Reg(J)(CB)

2 R(R) Admin
only for information
lead
15/10/16

From,
Ramesh Kumar(Malviya),
Deputy Registrar (M),
High Court of Judicature at
Allahabad.

To,
The Under Secretary,
Appointment Section - 4,
Government of Uttar Pradesh,
Lucknow.

Request - 90

No.13004 /IV-3687/Admin A-1

Dated :August, 30th 2016

Subject:Regarding sanction of Medical Reimbursement Claim amounting Rs.8,71,293/- of Sri Raghuvir Singh Rathore, Civil Judge(Junior Division), Kanpur Dehat incurred on treatment of his wife Smt. Manju Rathore at AIIMS, New Delhi for the period from 28.03.16 till 16.04.16.

Sir,

with reference to aforesaid subject, I am directed to send herewith original Medical Reimbursement Claim, along with its enclosures, amounting Rs.8,71,293/- of Sri Raghuvir Singh Rathore, Civil Judge(JD), Kanpur Dehat, incurred on treatment of his wife Smt. Manju Rathore at AIIMS, New Delhi for the period from 28.03.16 till 16.04.16 and to say that in accordance with Rule 20 contained in the Uttar Pradesh Government Servants(Medical Attendance)(First Amendment) Rules, 2014 issued vide Notification No. 474/V-6-14-1082/87, dated 04.03.2014 the medical reimbursement claims of retired/working U.P. Government employees for more than Rs.5,00,000/- is sanctioned by the Government of U.P.

I, therefore, request you to kindly obtain necessary orders of the Government of U.P. in instant matter, under intimation to this Court, at the earliest possible.

Enclosures:

Original M.R.C, along with its encls, amounting
Rs.8,71,293/- of Sri Raghuvir Singh Rathore,
Civil Judge(JD), Kanpur Dehat.

Yours faithfully,

[Signature]
Deputy Registrar

No.13005 /IV-3687/Admin A-1

Dated :August, 30th 2016

Copy forwarded for information and necessary action to following :

- (1) The District Judge, Kanpur Dehat.
- (2) Sri Raghuvir Singh Rathore, Civil Judge(JD), Kanpur Dehat.

[Signature]
Deputy Registrar

DR (M)

*May kindly see order dt. 19.08.16 of
hd. Reg (M) (R), on below placed office
note and issue instant draft?*

[Signature]
20/08/16

20/08/16 (R) .. MS 20/08/16 AR.

4725

72

Scanned
26-7-16
Page (3E)

0
25.07.16

प्रेषक,

सेवा में,

जनपद न्यायाधीश
कानपुर देहात।

महानिबन्धक
माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद

27.7.16

Request - 90

13208
Reg. No.
File No. 3687/71
Serial No.

2-8-16

3
1/8/16
3-8-16

पत्रांक 886/IX/BC

दिनांक 22.06.16

विषय- श्री रघुवीर सिंह राठौर सिविल जज (जू0डि0) की पत्नी श्रीमती मन्जू राठौर के चिकित्सा उपचार में हुये व्यय रूपया 871293/- की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

इस प्रतिष्ठान में कार्यरत सिविल जज (जू0डि0) श्री रघुवीर सिंह राठौर की पत्नी श्रीमती मन्जू राठौर के चिकित्सा उपचार में हुये व्यय रूपया 871293/- (आठ लाख इकहत्तर हजार दो सौ तिरानवे मात्र) का दावा समस्त मूल व्यय वाउचर तथा अनिवार्यता प्रमाण पत्र एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कानपुर देहात की संस्तुति के साथ स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

माननीय न्यायालय से निवेदन है कि उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा रू0 871293/- (आठ लाख इकहत्तर हजार दो सौ तिरानवे मात्र) को स्वीकृत करने की कृपा करें।
सादर!

संलग्नक - यथोक्त

भवदीय

(10)
DR (M)
we

26 JUL 2016

km. Pranti.

ms
04/8/16
OR

S. Anand (AI)

26/07/16
22/08

Shankar
26.6.16

जनपद न्यायाधीश
कानपुर देहात
जनपद न्यायाधीश
रमाबाई नगर